सं0सं0–7/सदर–23–01/2018– 40(7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)
अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया ।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना ।

पटना, दिनांक 01–10–2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,87,76,21,500/– (एक अरब सतासी करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार पॉच सौ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–21(7)ब दिनांक–14.06.18 एवं 32(7)ब दिनांक–20.09.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,87,76,21,500/– (एक अरब सतासी करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार पॉच सौ रू0)मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है(विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियॉ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया, गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जॉच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

12. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

13. सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

14. संविदा सेवाएँ (28–02) तथा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28–04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे ।

15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 40(7)0 पटना, दिनांक : 01-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड-20-2210011100013) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	किराया महसूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	दवा भंडार (21-02)	आहार/पथ्य (21-03)	संविदा सेवाएँ (28-02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04)	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	नालन्दा	50000000	7500000	7500000	0	1000000	5000000	71000000	0	50000	0	0	5000000	0	50000	80000	0	5000000	500000	0	15000000	0	96680000	3063/19.9.18
2	भोजपुर (आरा)	50000000	7500000	7500000	0	1000000	5000000	71000000	0	50000	0	0	1000000	0	50000	80000	2000000	15000000	1000000	0	15000000	2000000	107180000	3552/11.9.18
3	गया	60000000	9000000	9000000	0	1200000	6000000	85200000	30000	50000	0	0	300000	10000	50000	80000	250000	5000000	0	0	15000000	500000	106470000	2512/25.8.18
4	औरंगाबाद	35000000	5250000	5250000	0	700000	3500000	49700000	30000	50000	40000	40000	100000	0	50000	20000	500000	5000000	1000000	8000000	5000000	500000	70030000	1715/29.8.18, 1799/11.9.18
5	जहानाबाद	60000000	9000000	9000000	0	1200000	6000000	85200000	0	50000	0	0	1500000	0	50000	80000	200000	2000000	500000	1000000	3000000	200000	93780000	1965/11.9.18
6	नवादा	50000000	7500000	7500000	0	1000000	5000000	71000000	0	30000	0	0	0	0	0	0	500000	4000000	700000	1000000	0	800000	78030000	2411/30.8.18
7	सिवान	12000000	1800000	1800000	0	240000	1200000	17040000	0	0	0	10000	1000000	0	4500	2000	500000	2000000	300000	1000000	2000000	2000000	25856500	13/4.9.18
8	गोपालगंज	30000000	4500000	4500000	0	600000	3000000	42600000	0	30000	0	0	500000	0	30000	0	2000000	1000000	0	7000000	0	2000000	55160000	1755/7.8.18
9	मुजफ्फरपुर	60000000	9000000	9000000	0	1200000	6000000	85200000	20000	50000	0	0	200000	0	10000	0	0	0	1500000	10000000	5000000	0	101980000	2790/28.8.18
10	वैशाली	36000000	5400000	5400000	0	720000	3600000	51120000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	200000	0	13000000	0	64420000	1312/21.7.18
11	एम.जे.के.अस्पताल, बेतिया	30000000	4500000	4500000	0	600000	3000000	42600000	20000	50000	40000	40000	800000	100000	50000	60000	2000000	5000000	1000000	25000000	2000000	2000000	80760000	964/16.8.18
12	सीतामढ़ी	7600000	1140000	1140000	0	152000	760000	10792000	0	20000	0	0	50000	0	10000	20000	300000	2000000	0	7000000	6000000	100000	26292000	2399/28.8.18
13	मधुबनी	25000000	3750000	3750000	0	500000	2500000	35500000	20000	50000	0	10000	300000	0	10000	0	1000000	10000000	1000000	2000000	10000000	500000	60390000	2148/29.8.18
14	पूर्णिया	50000000	7500000	7500000	0	1000000	5000000	71000000	20000	50000	0	0	4500000	0	10000	50000	500000	15000000	1000000	5000000	0	500000	97630000	2481/13.9.18
15	कटिहार	36000000	5400000	5400000	0	720000	3600000	51120000	10000	10000	0	0	500000	0	10000	0	100000	10000000	300000	800000	8000000	100000	70950000	2168/19.9.18
16	भागलपुर	36000000	5400000	5400000	0	720000	3600000	51120000	0	50000	0	0	1000000	0	0	0	200000	5000000	500000	0	7000000	200000	65070000	3431/10.9.18
17	मुंगेर	50000000	7500000	7500000	0	1000000	5000000	71000000	0	10000	0	0	500000	0	10000	20000	200000	2000000	500000	8000000	5000000	200000	87440000	1874/17.9.18, 1092/12.6.18
18	बेगुसराय	50000000	7500000	7500000	0	1000000	5000000	71000000	10000	5000	30000	10000	200000	50000	10000	80000	200000	5000000	400000	0	2800000	100000	79895000	1823/1.9.18
19	खगड़िया	50000000	7500000	7500000	0	1000000	5000000	71000000	10000	10000	0	0	1500000	0	0	80000	0	0	500000	8000000	0	0	81100000	991/21.8.18
20	अरवल	15000000	2250000	2250000	0	300000	1500000	21300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	4500000	0	26100000	1093/12.9.18
21	शेखपुरा	20000000	3000000	3000000	0	400000	2000000	28400000	0	0	0	0	500000	20000	5000	0	200000	2000000	0	600000	0	100000	31825000	984/14.8.18
22	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	8000000	0	0	0	100000	8200000	1334/15.9.18
23	बक्सर	40000000	6000000	6000000	0	800000	4000000	56800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56800000	2200/19.9.18
24	लखीसराय	20000000	3000000	3000000	0	400000	2000000	28400000	0	5000	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28905000	1431/7.9.18
25	बाँका	20000000	3000000	3000000	0	400000	2000000	28400000	5000	10000	0	0	300000	0	5000	88000	1000000	7000000	500000	4000000	200000	2000000	43508000	1788/24.8.18
26	अररिया	30000000	4500000	4500000	0	600000	3000000	42600000	0	5000	30000	50000	500000	0	5000	80000	200000	2000000	500000	8000000	1400000	200000	55570000	2260/17.9.18
27	जमुई	20000000	3000000	3000000	0	400000	2000000	28400000	0	10000	0	0	500000	0	5000	80000	200000	2000000	500000	4000000	0	200000	35895000	1613/30.8.18
28	किशनगंज	20000000	3000000	3000000	0	400000	2000000	28400000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	28600000	2153/17.9.18
29	पटना	72000000	10800000	10800000	300000	1440000	7200000	102540000	10000	10000	30000	0	400000	30000	5000	80000	0	0	0	0	0	0	103105000	6055/24.8.18
30	गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	639/29.8.18
	कुल	1034600000	155190000	155190000	300000	20692000	103460000	1469432000	185000	655000	170000	160000	31750000	210000	429500	980000	12350000	114000000	12700000	100400000	119900000	14300000	1877621500	

(एक अरब सतासी करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार पाँच सौ) रू. मात्र

40(7)/9

सरकार के विशेष सचिव

60

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0013–01–01)	2443470000	1212000000	1034600000	2246600000	196870000
2	जीवन यापन भत्ता (0013–01–03)	366520000	181800000	155190000	336990000	29530000
3	मकान किराया भत्ता (0013–01–04)	390950000	181800000	155190000	336990000	53960000
4	परिवहन भत्ता (0013–01–05)	18550000	705000	300000	1005000	17545000
5	चिकित्सा भत्ता (0013–01–06)	46150000	24240000	20692000	44932000	1218000
6	अन्य भत्ता (0013–01–07)	244340000	121200000	103460000	224660000	19680000
7	त्यौहार अग्रिम (0013–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	**3510980000**	**1721745000**	**1469432000**	**3191177000**	**319803000**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013–06–01)	2500000	656642	0	656642	1843358
9	यात्रा व्यय (0013–11–01)	2530000	1230000	185000	1415000	1115000
10	कार्यालय व्यय (0013–13–01)	9006000	3240000	655000	3895000	5111000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013–13–02)	3930000	1840000	170000	2010000	1920000
12	दूरभाष (0013–13–03)	5000000	2460000	160000	2620000	2380000
13	विद्युत प्रभार (0013–13–04)	58520000	22300000	31750000	54050000	4470000
14	विधि प्रभार (0013–13–05)	1000000	0	210000	210000	790000
15	वर्दी/ पोषाक (0013–13–06)	997000	476000	429500	905500	91500
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013–13–07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013–14–01)	1810000	830000	980000	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013–20–03)	27000000	0	0	0	27000000
19	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0013–21–01)	27000000	13560000	12350000	25910000	1090000
20	दवा भंडार (0013–21–02)	300000000	152500000	114000000	266500000	33500000
21	आहार/ पथ्य (0013–21–03)	120000000	50866250	12700000	63566250	56433750
22	लघु कार्य (0013–27–01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0013–27–02)	50000000	0	0	0	50000000
24	संविदा सेवाएँ (0013–28–02)	800000000	389400000	100400000	489800000	310200000
25	व्यवसायिक/कला तकनीकी सेवाएँ(0013–28–04)	700000000	328600000	119900000	448500000	251500000
26	अनुग्रह अनुदान (0013–37–01)	800000	0	0	0	800000
27	मशीने एवं उपस्कर (0013–52–01)	50000000	21650000	14300000	35950000	14050000
	कुल योगः–	**5671075000**	**2711353892**	**1877621500**	**4588975392**	**1082099608**

40(7)9
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव